न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 121/2008–09 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्री सिद्विलाल
–बनाम–
श्रीमती पीताम्बरी बिष्ट

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)

निगरानीकर्ताः स्वंय
अधिवक्ता उत्तरदात्रीः श्री एस0के0 सुन्दरियाल।

बावत

खाता संख्या–88 मध्ये खसरा नं0–2592 रकबा 0.060 है0
स्थित ग्राम–गोपेश्वर, जिला चमोली।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, चमोली द्वारा अपील संख्या– 54/2008–09 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम श्री सिद्विलाल बनाम श्रीमती पीताम्बरी बिष्ट में पारित निर्णयादेश दिनांक 25–07–2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त इतिहास निम्नप्रकार है :–

श्रीमती पीताम्बरी बिष्ट ने बैनामा दिनांक 09–06–2008 के आधार पर एक नामान्तरण वाद संख्या–2/193/2007–08 श्रीमती पीताम्बरी बिष्ट बनाम श्री बसन्त कुमार, हेमन्त कुमार तहसीलदार, चमोली के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 12–02–2009 से स्वीकार करते हुए श्रीमती पीताम्बरी बिष्ट के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्व आपत्तिकर्ता श्री सिद्वि लाल ने विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, चमोली के न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा–210 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय/आदेश दिनांक 25–07–2009 से बलहीन एवं सारहीन होने के कारण निरस्त किया। उक्त आदेश दिनांक 25–07–2009 के विरूद्व यह निगरानी सर्किट कोर्ट, पौडी में प्रस्तुत की गई जिसे निगरानीकर्ता के अनुरोध पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22–06–2011 से सुनवाई हेतु देहरादून न्यायालय स्थानान्तरित किया गया।

निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में मुख्य बिन्दु यह उठाया है कि श्रीमती पीताम्बरी बिष्ट ने विक्रय पत्र के माध्यम से ग्राम गोपेश्वर के खाता संख्या–88 के खेत नं0–2592 मध्ये 03 नाली भूमि श्री बसन्त कुमार एवं हेमन्त कुमार से दिनांक 09–06–2008 को क्रय की परन्तु विक्रय पत्र में ग्राम गोपेश्वर के खाता संख्या–38 के खेत नं0–2593 की चौहद्दी लिख दी गयी जो चमोली गोपेश्वर मोटर मार्ग के खड्ड साईड में निगरानीकर्ता के

पुत्रगण देवेन्द्र कुमार, कैलाशचन्द नाम, हक व कब्जे का है तथा राजस्व अभिलेखों में निगरानीकर्ता के पुत्रगण के नाम दर्ज है।

मैने निगरानीकर्ता एवं उत्तरदात्री के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अवर न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन एवं परिशीलन किया।

श्री सिद्दिलाल (निगरानीकर्ता) ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सम्बन्धित खाते के मूल खातेदार श्री अवतार सिंह से खेत नं0–2593 मध्ये 12 मुठ्ठी भूमि अपने पुत्रगण देवेन्द्र कुमार, कैलाश चन्द्र के नाम दिनांक 19–10–95 को पंजीकृत बयनामा से कय की गई है जो चमोली गोपेश्वर मोटर मार्ग के खड्ड साईड में है। इसी खेत नं0–2593 के नीचे ग्राम गोपेश्वर के फसली वर्ष 1413 से 1418 के खाता संख्या–88 का खेत नं0–2592 है जिसका कुल रकबा 5 नाली है। श्री बसन्त कुमार, हेमन्त कुमार ने इसी खेत नम्बर से दिनांक 16–01–84 को 2 नाली एवं दिनांक 02–07–84 को एक नाली कुल तीन नाली भूमि सच्चिदानन्द, बल्लभ प्रसाद से कय कर कब्जा पठियालधार की ओर पश्चिम की तरफ पाया था। बसन्त कुमार, हेमन्त कुमार ने जो 3 नाली भूमि बयनामा दिनांक 09–06–2008 से श्रीमती पीताम्बरी बिष्ट को विकय की है, उसमें चौहद्दी चमोली गोपेश्वर मोटर मार्ग के खड्ड साईड में दर्शाई गई है, जबकि उनके द्वारा दिनांक 16–01–84 एवं 02–07–84 को कय की गई 03 नाली भूमि की चौहद्दी के अनुसार चमोली–गोपेश्वर मोटर मार्ग के खड्ड साईड से लगी होने का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 09–06–2008 को उत्तरदात्री पीताम्बरी बिष्ट के नाम बिना कब्जे के गलत चौहद्दी लिखकर फर्जी बयनामा करवाया गया है।

निगरानीकर्ता ने तद्नुसार विद्वान सहायक कलेक्टर, चमोली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25–07–2009 एवं तहसीलदार, चमोली द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 12–02–2009 को खण्डित किये जाने का अनुरोध किया है।

अधिवक्ता उत्तरदातात्री ने अपनी लिखित बहस में तर्क दिया कि दाखिल खारिज की कार्यवाही की सर्वमान्य एवं विधि प्रतिपादित व्यवस्था है कि उक्त कार्यवाही में किसी भी पक्षकार के मालिकाना हक एवं स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथा उक्त प्रकिया मात्र राजस्व संग्रह की एक व्यवस्था है। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति/पक्षकार किसी विकय पत्र एवं कब्जे के संदर्भ में नामान्तरण कार्यवाही में आपत्ति प्रस्तुत करता है तो उक्त कार्यवाही मात्र नियमित वाद में ही सम्भव है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रतीत होता है कि निगरानीकर्ता एवं उत्तरदात्री के मध्य भूमि

खसरा संख्या–2592 एवं 2593 के संदर्भ में विवाद है तथा उत्तरदात्री के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र एवं नामान्तरण खसरा संख्या–2592 से सम्बन्धित हैं, किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय में यह कथन किया गया है कि उत्तरदात्री खसरा नं0–2592 में काबिज न होकर निगरानीकर्ता द्वारा खरीदे गये खसरा संख्या–2593 में काबिज है। जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है किन्तु वर्तमान समय तक निगरानीकर्ता द्वारा स्वंय खरीदे गये खसरा नं0–2593 के सम्बन्ध में सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैने पक्षकारों की मौखिक बहस को सुना तथा लिखित बहस एवं अवर न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया, तथा विद्वान तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों का परिशीलन किया।

नामान्तरण प्रकरण में अन्तर्निहित भूखण्ड सम्बन्धी विक्रय पत्र के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा आपत्ति नहीं है। आपत्ति मात्र इस बिन्दु पर है कि उत्तरदात्री का कब्जा प्रश्नगत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रीत भूमि पर न होकर निगरानीकर्ता के पुत्रों के पक्ष में विक्रीत भूमि पर है। यह निर्विवादित है कि दोनों भूखण्डों की सीमायें मिलती है एवं स्थल पर सीमांकन स्पष्ट नहीं है। परन्तु विद्वान तहसीलदार ने विवादित भूमि पर क्रेता का कब्जा होने के सम्बन्ध में साक्ष्य सम्मत स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया है। धारा–40(2) भू–राजस्व अधिनियम 1901 के अनुसार यदि कब्जे के सम्बन्ध में अनिश्चितता हो तो उस व्यक्ति को कब्जा दिलाया जा सकता है जिसका विवादित भूमि में सर्वश्रेष्ठ स्वत्व हो। वर्तमान प्रकरण में विवादित भूखण्ड के स्वत्व का कोई विवाद नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकार कर तहसीलदार ने कोई त्रुटि नहीं की है। यद्यपि विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, चमोली ने अपीलीय आदेश पूर्ण विवेचन कर नहीं पारित किया है तथापि नामान्तरण इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

एक तथ्य आश्चर्यजनक रूप से यह प्रकट हुआ है कि निगरानीकर्ता (मूल कार्यवाही में आपत्तिकर्ता) का प्रकरण में स्वंय कोई हित निहित नहीं है। उसने मात्र अपने पुत्रों के पक्ष में समीपवर्ती भूखण्ड कय किये जाने के आधार पर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि सम्बन्धित देवेन्द्र कुमार व प्रकाश चन्द्र (निगरानीकर्ता के पुत्रगण) स्वंय आपत्ति करने के लिए स्वतन्त्र थे। वे अवयस्क अथवा विधिक रूप से अक्षम हैं एवं आपत्तिकर्ता/निगरानीकर्ता उनका संरक्षक है, सम्बन्धी कोई कथन प्रस्तुत नहीं हुआ है और न पक्षकार संयोजन से ऐसा प्रकट हुआ है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की आपत्ति, अपील एवं वर्तमान निगरानी ग्राह्य नहीं है। उसके पुत्रगण को ही मूल कार्यवाही में आपत्ति करने एवं अपील व निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार था एवं उनके द्वारा इस हेतु चाराजोही नहीं की

गई है। यदि निगरानीकर्ता के पुत्रों को उनके द्वारा धारित भूखण्ड की सीमाओं को अतिक्रमित किये जाने सम्बन्धी कोई आपत्ति है तो उसका निराकरण विधिवत सीमांकन की कार्यवाही कर कराया जा सकता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **23–12–2013** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित ।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।